भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2039
जिसका उत्तर गुरुवार, 08 अगस्त, 2024 को दिया जाना है

एनएलयू में निधियों का संकट

2039 श्री रविचंद्र वद्दीराजू :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों (एनएलयू) को दिन-प्रतिदिन निधीयन की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि यह समस्या और भी बढ़ने वाली है क्योंकि सरकार अपनी ओर से निधि प्रदान करने से मना कर रही है और अपने लिए संसाधन जुटाने का कार्य उन पर छोड़ रही है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों (एनएलयूएस) को संबंधित राज्य विधानमंडलों द्वारा अधिनियमित संबंधित अधिनियमों के अधीन स्थापित किया गया है और इस प्रकार वे राज्य विश्वविद्यालय हैं। स्वयं का राजस्व उद्भूत करने के अतिरिक्त, इन्हें राज्य सरकारों से भूमि, अवसंरचना संबंधी सहायता, वित्तीय अनुदान और अन्य विकास संबंधी सहायता के आबंटन से लाभान्वित किया जाता हैं । राज्य विधान मंड़लों के सृजन होने के कारण राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों से संबंधित वित्तपोषण के विषय संबद्ध राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों और संबंधित राज्य सरकारों के कार्य क्षेत्र में आता है ।

****